तारीख हुक्म

बनाम

मु. सं.

दिनांक: 13.03.2024

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस बंटवारा स्कीम सुनी गयी। वास्ते आदेश दिनांक 15.03.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

दिनांक: 15.03.2024

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश विभाजन प्रस्ताव पेश हुई। तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2017 को इस प्रकरण में प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि ख.नं. 618, 621, 625 कुल किता 3 कुल रकबा 0.65 हैक्टर ग्राम नौगॉव तहसील महवा का खातेदारान के मध्य कब्जा व हिस्सा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तहसीलदार महवा द्वारा दिनांक 04.03.2020 को इस न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पेश किये है।

वकील फरीकेन की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट कुर्रेजात एवं अन्य रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश कमॉक/रा.म./न्याय/स्था./प–51/2018/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के मुताबिक भूमि विभाजन के प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम –21 के अन्तर्गत तहसीलदार महवा द्वारा विवादित आराजी के मुताबिक प्राथमिक डिक्री पेश की है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कोई आपत्ति नहीं है।

अतः दावा वादीगण मुताबिक रिपोर्ट कुर्रेजात निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क्र. स.	नम खातेदार	खाता सं.	ख.नंबर	रकबा
1.	समयसिंह पुत्र रामधन राहिन बीओबी शाखा पावटा मुर्तहीन जाति जाटव सा.देह	44	621	0.22
2.	–जगन पुत्र भूरया हि. 1/2 राहिन पीएनबी शाखा महवा मुर्तहीन धर्मे पुत्र –भूरया हि. 1/2 जाति जाटव सा.देह	44	618 625	0.32 0.11
		योग	किता–2	0.43

वाके ग्राम नौगॉव तहसील महवा जिला दौसा पर उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रिपोर्ट कुर्रेजात निर्णय का जुज रहेगा। तदनुसार फाईनल डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

CamScanner